/161765/2023

संख्याः– 1796 /XLI-A/2023–46/2011(E-47166)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जी.बी. पंत इंस्टी. ऑफ इंजी. एण्ड टेक्नोलॉजी,
घुड़दौड़ी, पौड़ी।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023।

विषयः गोविन्द बल्लभ पन्त इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तावित कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या 136/सि.अनु./2023 दिनांक 04.07.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में जी.बी. पंत इंस्टी. ऑफ इंजी. एण्ड टेक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी में निम्न तालिकानुसार प्रस्तावित कार्यों हेतु आंगणन की कुल लागत रू0 633.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान में कुल लागत के सापेक्ष रू0 281.23 लाख (रू0 दो करोड़ इक्यासी लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

धनराशि (लाख में)

क्रमांक	कार्य/मांग का विवरण	आंगणन की धनराशि	निर्माण कार्य हेतु	अधिप्राप्ति नियमावली	वित्तीय वर्ष 2023–24 में आवश्यक धनरशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि	धनराशि प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टाइप–4 के 03 शेष आवासों का निर्माण	121.22	120.62	0.60	121.22	72.732	60 प्रतिशत
2.	संस्थान परिसर में 18 गार्ड रूम का निर्माण	96.83	96.23	0.60	96.83	58.098	60 प्रतिशत
3.	संस्थान परिसर में स्टीट लाइटिंग का कार्य	195.92	63.08	132.84	62.70	62.70	प्रस्तावानुसार
4.	चाहरदीवारी के निर्माण का द्वितीय चरण	219.25	219.25	0.00	109.625	87.7	40 प्रतिशत
	योग	633.22	499.18	134.04	390.375	281.23	

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(ii) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(iii) उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाये।

(vii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

(viii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

(x) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/ 2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–।/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xi) विषयगत प्रकरण में दिनांक व्यय वित्त समिति के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें तथा प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य व आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व प्र0वि0 का होगा एवं अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(xii) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य सम्पादित किया जाय।

(xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4202–00–02–105–05–55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/159098/2023 दिनांक 05.10.2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

Signed by Raman Ravinath
Date: 13-10-2023 18:43:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः– 1296 /XLI-A/2023–46/2011(E-47166) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Dinesh Kumar Punetha
Date: 16-10-2023 16:08:02
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।